भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

34AE 937013

समक्ष– माननीय रजिस्ट्रार महोदय,

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण प्रिंसिपल बेंच

नई दिल्ली

शपथ पत्र मिनजानिब विकास पाण्डे उम्र करीब 26 वर्ष पुत्र श्री ओम प्रकाश पाण्डेय निवासी दक्षिणी गौतम नगर थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर सशपथ बयानक रता हू कि–

1– यह कि मै शपथकर्ता उपरोक्त पते का निवासी हू।

2– यह कि शपथकर्ता सशपथ बयान करता हे कि प्रार्थना पत्र जो इस शपथ पत्र का जुज भाग है जो शपथ पत्र के साथ संग्न है मे लिखी इबारत मेरी जातीय इल्म से व अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर सही व सच हैं।

3– यह कि शपथ पत्र की दफा 1 लगायत 2 मेरी जातीय इल्म से सही व सच है कोई बात छिपाई नही गयी है ईश्वर सच बोलने में मेरी मदद करे ब मुकाम कचेहरी अहाता फतेहपुर।

दिनांक– विकास पाण्डे

ह0 शपथकर्ता विकास पांडेय

ह0 शपथकर्ता विकास पांडेय

मो0 8853592007

shree........ to who conectoand adavit document have been explaned and who is identified shree.................. Advocate Received the Fees Rs........ 10

NOTARY FATEHPUR

7-4-2021

सेवा में

माननीय रजिस्ट्रार महोदय

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण

प्रिंसिपल बेंच

नई दिल्ली

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के केस O.A. 02/2021 के आदेश दिनांक 07/01/2021 की जांच में शिथिलता बरतने व दोषी अधिकारियों द्वारा जांच पट्टाधारक के अनुसार करने के संदर्भ में।

महोदय,

विनम्र पूर्वक अवगत कराना चाहता हूँ कि प्रार्थी विकास पांडेय दक्षिणी गौतम नगर निवासी व पयार्वरण प्रेमी है। प्रार्थी माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण केस O.A. 02/2021 का वादी है। फ़तेहपुर जनपद में स्थित अढावल खण्ड संख्या -11 के पट्टेधारक व संचालक के द्वारा जलधारा को बांधकर जमकर अवैध खनन किया गया था। जिसको छुपाते हुए संयुक्त टीम ने पट्टेधारक के पक्ष में एकतरफा रिपोर्ट बनाई। जिससे यह लगभग निश्चित हो गया है कि संयुक्त टीम की मिलीभगत से देश की महत्वपूर्ण यमुना नदी की जलधारा बांधकर अवैध खनन व परिवहन किया गया है।

वर्षों बाद हमारे संपूर्ण देश में कोविड-19 के लॉकडाउन के कारण यमुना नदी में प्रदूषण का स्तर सुधरा। प्रदूषण कम होने से जलीय जीवों ने यमुना नदी को अपना आशियाना बना लिया था। मगर इसकी फिक्र किसे है इस जनपद में यमुना की धारा को बांधकर जलधारा से खनन करवाना कुछ भ्रष्ट अधिकारियों का पेशा बन गया है। जिसकी वजह से लाखों जलीय जीव प्रतिदिन जलधारा मे हैवी बड़ी मशीनों से मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। अनेकों वीडियो बनाकर जिला प्रशासन को शिकायत कर्ता द्वारा दी जाती हैं लेकिन पट्टे धारकों के हाथ बिके अधिकारियों द्वारा मामूली कार्यवाही कर पट्टे धारक को संरक्षण दिया जाता है। ऐसे अधिकारियों की अपराध में बराबर की सहभागिता व उनके द्वारा प्रशासनिक पद का दुरुपयोग किया जाता है। ऐसा नहीं कि यह हाल सिर्फ एक मोरंग खदान का है जनपद में मौजूद लगभग सभी मोरंग खदानो का यही हाल है।

महोदय आपके आदेशानुसार दिनांक 07/01/2021 के जांच के संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय फतेहपुर के द्वारा पत्रांक संख्या 1425/30 - खनिज दिनांक 12/01/2021 द्वारा उप जिलाधिकारी सदर फतेहपुर, क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रयागराज, प्रभारी अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उत्तर प्रदेश प्रयागराज, खान निरीक्षक फतेहपुर की टीम गठित की गई थी। संयुक्त जांच टीम दिनांक 18/02/2021 को प्रार्थी को अढावल खण्ड 11 मौके में जांच में साथ लेकर गई थी मगर प्रार्थी द्वारा बताए गए किसी भी बिंदु पर जांच नहीं की। और तो और प्रार्थी से एक सादे कागज़ में हस्ताक्षर कराने की कोशिश की गई मगर प्रार्थी ने मना कर दिया।

विकास पांडेय
07/4/2021
मो0 8853592007

जिसके बाद टीम ने पट्टेधारक से लाभान्वित होकर एकतरफा रिपोर्ट माननीय न्यायालय में प्रेषित की है जिसकी उच्चस्तरीय जांच करवाना न्याय हित में है जिससे लाखों जलीय जीवो के हत्यारों को कठोर सजा मिल सके।

आपको बता दें कि माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश दिनांक 07/01/2021 पर संयुक्त टीम की आख्या पेज नंबर 3,4 के अनुसार अनेक खामियां स्पष्ट नजर आ रही हैं जिससे यह प्रतीत होता है कि एकतरफा रिपोर्ट संरक्षित अधिकारियों द्वारा मोरम माफियाओं के पक्ष में बनाई गई है जो कि निम्न है :-

1. आख्या पेज नंबर 3 के बिंदु 2 के अनुसार खनन क्षेत्र बिंदु डी की मुख्यधारा से पहले स्थित सूखे क्षेत्र पर है और दिखाया गया है कि वर्तमान में इस भाग में परिवहन मार्ग उपलब्ध नहीं है जबकि प्रार्थी द्वारा दिनांक 17 दिसंबर 2020 को समय 12:12 दोपहर में जीपीएस वीडियो बनाकर शासन व प्रशासन को दिया गया था। जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि यमुना की धारा बांधकर अवैध खनन किया गया है और जलधारा बांध कर रास्ता बनाया गया है। इसकी फोटो नीचे संलग्न है।

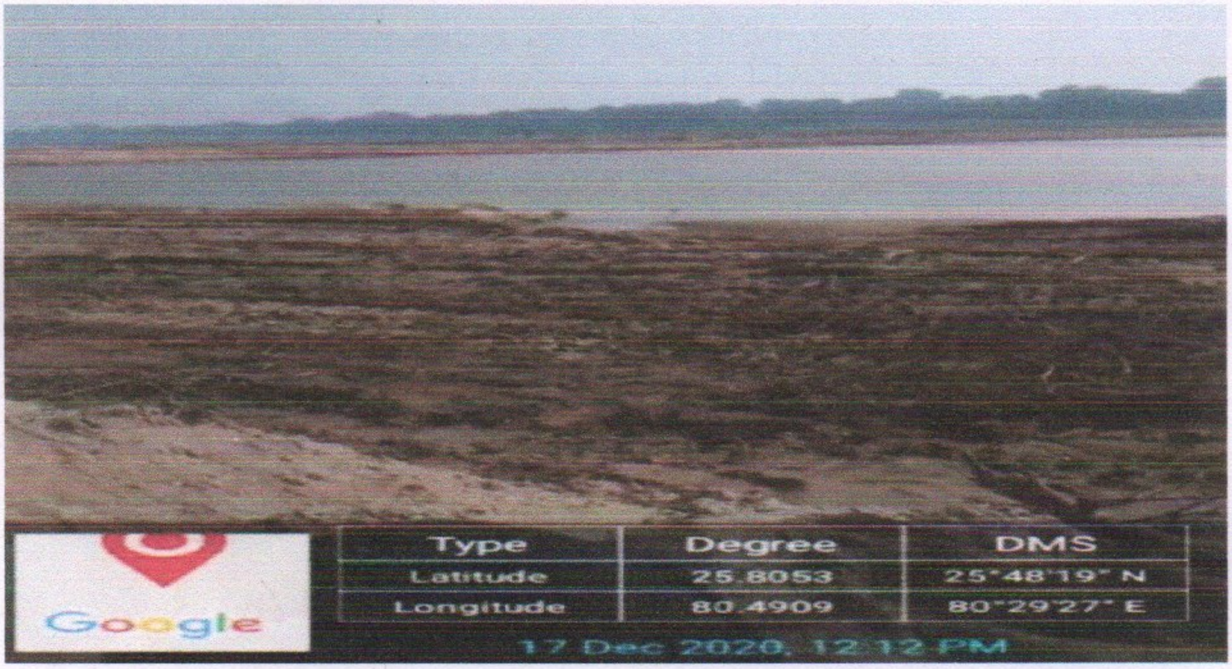

2.जांच रिपोर्ट के पेज नंबर 4 में बिंदु नंबर 3 दिया गया है जिसमें लिखा है स्वीकृत क्षेत्र में नदी की जलधारा को अवरोधित कर परिवहन मार्ग का निर्माण नहीं किया गया है जबकि थाना ललौली की एफआईआर संख्या 0327/20 दिनांक 20/12/2020 में खान निरीक्षक की तहरीर में साफ लिखा है की पट्टे धारक द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र में बालू/मोरम का खनन व परिवहन किया गया है परंतु यमुना नदी की धारा तक पहुंचकर जलधारा से अवैध रूप से खनन किया गया है। एफआईआर की तहरीर की कटिंग निम्न है। **माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण को जिलाधिकारी महोदय द्वारा भेजी गई रिपोर्ट पेज 15**

विकास पांडेय

12.First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर हिन्दी टाइप शुदा सेवा में श्रीमान प्रभारी निरीक्षक महोदय थाना ललौली जनपद फतेहपुर। महोदय, कृपया अवगत कराना है, कि आज दिनांक 20.12.2020 को समय लगभग 15.30 बजे श्रीमती रतना जादौन पत्नी वीरेन्द्र सिंह जादौन निवासी एम- 728 अरेरा कोलोनी भोपाल (म0प्र0) पट्टाधारक को स्वीकृत बालू/ मोरम खनन क्षेत्र खण्ड संख्या A-11 अढ़ावल रकबा 25.00 हे0 बालू/मोरम खनन क्षेत्र की जांच क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक, क्षेत्रीय लेखपाल, प्रभारी निरीक्षक थाना-ललौली, सर्वेक्षक प्रयागराज खनिज विभाग तथा अधोहस्ताक्षरी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया जिसमें पाया गया कि उक्त पट्टा धारक द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र से बालू/मोरम का खनन एवं परिवहन किया गया है, परन्तु यमुना नदी की धारा तक पहुंच कर जल धारा से अवैध रूप खनन किया गया है जो पर्यावरण/सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम- 1984 का उलंघन है तथा उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली 1963 के नियम 41 का उलंघन है। अतः अपरोक्तानुसार पट्टाधारक व अन्य के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।दिनांक 20.12.2020 भवदीय SD अजित कुमार पाण्डेय खान निरीक्षक फतेहपुर। MO. NO. -9453000549 नोट मैं का0नु0 सजंय यादव प्रमाणित करता हूँ कि नकल तहरीर अक्षरशः बोल बोल कर कम्प्यूटर पर अंकित करायी गयी।

3. जांच रिपोर्ट के पेज नंबर 4 के बिंदु नंबर 4 में संयुक्त टीम ने पट्टे धारक के प्रतिनिधि के बयान दर्ज किए हैं जो कि निम्न है। पट्टेधारक प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि पीटी जेड कैमरा व वेटब्रिज मशीन को कमांड सैंटर से पूर्व में इंट्रीकेट कराया गया था। जबकि दिनांक 5/12/2020 और 20/12 /2020 की जांच में दर्शाया गया है कि पी0टी0जेड0 कैमरा स्थापित नहीं पाया गया हैं

संयुक्त जॉच आख्या

जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 18.12.2020 के अनुपालन में उप जिलाधिकारी सदर की अध्यक्षता में क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक, क्षेत्रीय लेखपाल, प्रभारी निरीक्षक, थाना ललौली, सर्वेक्षक, क्वैरी कार्यालय प्रयागराज के साथ खान निरीक्षक द्वारा दिनांक 20.12.2020 को जनपद फतेहपुर के तहसील सदर अन्तर्गत संचालित खनन पट्टा ग्राम अढ़ावल खण्ड सं0–ए–11 का स्थलीय निरीक्षण संयुक्त रूप से किया गया, निरीक्षण आख्या निम्नवत् है :–

1. श्रीमती रतना जादोन पत्नी बीरेंन्द्र सिंह जादोन निवासी ई–7 एम–728 अरैरा कालोनी भोपल (म0प्र0) के पक्ष में स्वीकृत मोरम खण्ड सं0–ए–11 ग्राम अढ़ावल में जॉच के समय खनन कार्य बन्द पाया गया। खन क्षेत्र हेतु वेट ब्रिज मशीन चालू हालत मे था तथा वेट ब्रिज का कैमरा भी चालू था। खनन क्षेत्र में पी0टी0जेड कैमरा नही स्थापित था। खनन के चिन्हों से स्पष्ट है कि पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र से बालू/मोरम का खनन कार्य किया जा रहा था, परन्तु स्वीकृत क्षेत्र में यमुना नदी की जलधारा तक पहुँच कर जलधारा से खनन किया गया है। जलधारा तक पहुचने के लिए पट्टाधारक द्वारा कैची/पहुँच मार्ग बनाकर खनन किया गया है, जो उ0प्र0 उप खनिज

(11) E-mail/चस्पा

कार्यालय जिलाधिकारी, फतेहपुर

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 1332 /30–खनिज (2019–20) दिनांक 17/12/2020

नोटिस

श्रीमती रत्ना जादोन पत्नी श्री वीरेंन्द्र सिंह जादोन,
निवासी ई–7 एम–708 एरेरा कालोनी भोपाल (म0प्र0)
ई–मेल आई0डी0–ratnajadonctp@gmail.com

संयुक्त निरीक्षण के दौरान दिनांक 05.12.2020 को आपके पक्ष में स्वीकृत मोरम खनन क्षेत्र ग्राम अढ़ावल खण्ड सं0–ए–11 में टीम द्वारा जॉच की गई, जॉच आख्या के अनुसार आपके खनन क्षेत्र में सीमा स्तम्भों का अनुरक्षण नही पाया गया, पी0टी0जेड0 कैमरा स्थापित नही पाये गये, जलधारा को रोंकने के प्रयास से मेड़ का निर्माण पाया गया एवं 02 मशीनें नियम विरूद्ध कार्य करने के आरोप में आपके प्रतिनिधित्व की अभिरक्षा मे दिया गया है।

दोनों दिनांक में जांच रिपोर्ट की कटिंग निम्न है प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि स्वीकृत क्षेत्र में कहीं पर जलधारा अवरोधित नहीं किया गया है। माह दिसंबर में नदी का जलस्तर बढ़ा होने के कारण छिछले रूप से पानी बहता हुआ नजर आया था। जबकि संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 05/12/2020 को जांच की जानकारी में आईजीआरएस संख्या 40017220024327 के पत्रांक संख्या 1328/30-खनिज दिनांक 16/12/2020 को दिया गया है कि जलधारा में अवरोध रूपी मेड को हटवा दिया गया है। जिसकी छायाप्रति निम्न है।

कार्यालय जिलाधिकारी, फतेहपुर

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 1328 /30–खनिज (2020–21) दिनांक 16/12/2020

सेवा में,
जिलाधिकारी,
फतेहपुर।

विषय– आई0जी0आर0एस0 पोर्टल के आनलाइन सन्दर्भ सं0–40017220024327 श्री विकास पाण्डेय, बहुआ तहसील फतेहपुर के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया आई0जी0आर0एस0 पोर्टल के आनलाइन सन्दर्भ सं0–40017220024327 श्री विकास पाण्डेय, बहुआ तहसील फतेहपुर द्वारा ग्राम अढ़ावल खण्ड सं0–11 मे नदी की जलधारा को रोकने के सम्बन्ध में शिकायत की गई है।

इस सम्बन्ध मे अवगत कराना है जॉच टीम द्वारा दिनांक 05.12.2020 को जॉच करते हुये पट्टाधारक/प्रतिनिधि द्वारा जलधारा को रोकें जाने हेतु मिट्टी/बजरा/झाड द्वारा मेड का निर्माण भी मशीनों के माध्यम से किया जा रहा था, जिसे तत्काल उसी समय ध्वस्त कराते हुये जलधारा के अवरोध रूपी मेड को हटवा दिया गया तथा उक्त कार्य मे संलिप्त 02 मशीनों को तत्काल सीज करते हुये उपरोक्त अपराध के लिए उ0प्र0 उप खनिज परिहार नियमवली–1963 के नियम–59 के तहत जुर्माना/अर्थदण्ड लगाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

आख्या सादर सेवा मे प्रेषित है।

16/12/20

खान अधिकारी,
फतेहपुर।

4.जांच रिपोर्ट के पेज नंबर 4 में बिंदु नंबर 5 में दिया गया है कि पट्टे धारक द्वारा मात्र 11234 घन मीटर बालू मोरम का खनन किया गया है लेकिन यह नहीं दिखाई गया है कि प्रार्थी की आधा दर्जनों शिकायत के बाद भी लगभग एक लाख घन मीटर का अवैध खनन भी किया गया है जो कि ट्रक बिना रवन्ने के धर्म काटों के बगल से गुजर कर निकलते हैं और रॉयल्टी में लगे कैमरों की जांच भी नहीं की गई। ओवर लोड ट्रकों को वेटब्रिज में गड़बड़ी करके रॉयल्टी भी दी जाती है।

अतः प्रार्थी विकास पांडेय रजिस्ट्रार महोदय से निवेदन करता है कि लाखों की संख्या में जलीय जीवो के जीवन से खिलवाड़ करने वाले व भारत की श्रेष्ठ नदी यमुना नदी की जलधारा में अवैध खनन करने वाले व इस खेल में मिले भ्रष्ट अधिकारियों की उच्च स्तरीय जांच कराकर मुकदमा दर्ज किया जाए व सीबीआई जांच कराकर समस्त दोषियों को कठोर से कठोर दंड देने का कष्ट करे।

साथ ही एक अन्य निवेदन भी है कि प्रार्थी को तनिक भी पता नही है कि प्रार्थी को रजिस्ट्रार महोदय को दूसरा पत्र लिखने को मिलेगा या प्रार्थी को उससे पूर्व ही जान से मार दिया जाएगा । पूर्व में दिनांक 24/01/2021 को फोन के माध्यम से पट्टेधारक के गुर्गों द्वारा धमकी दी गई थी कि यदि प्रार्थी ने इस मामले में शिकायत कि तो प्रार्थी को जान से मार दिया जाएगा। जिसकी एफआईआर प्रार्थी द्वारा कोतवाली जनपद फतेहपुर में दर्ज कराई गई थी जिसमें अभी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। एफआईआर 0060/2021 दर्ज है। अतः आपसे निवेदन है कि प्रार्थी की जान माल का खतरा है इसलिए पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का कष्ट करें। एफ आई आर की छाया प्रति संलग्न है।

विकास पांडेय

1

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिता के तहत)

1. District (जिला): फतेहपुर　　P.S. (थाना): कोतवाली　　Year (वर्ष): 2021
FIR No. (प्र.सू.रि. 0060　　Date &Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक/समय) 29/01/2021 15:50 बजे

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा द स 1860	504
2	भा द स 1860	507

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
1. Day (दिन): रविवार　　Date From (दिनांक से 24/01/2021　　Date To (दिनांक तक) 24/01/2021
Time Period (समय अवधि): पहर 4　　Time From (समय से): 11:38 बजे　　Time To (समय तक): 11:38 बजे
(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):
Date (दिनांक): 29/01/2021　　Time (समय): 15:50 बजे
(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):
Entry No. (प्रविष्टि सं.): 040　　Date & Time (दिनांक और समय): 29/01/2021 15:50 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): दक्षिण 03 किमी　　Beat No. (बीट सं.):
(b) Address (पता): मकान वादी दक्षिणी गौतम नगर
(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):
Name of P.S. (थाना का नाम): कोतवाली　　District(State) (जिला (राज्य)): फतेहपुर(उत्तर प्रदेश)

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):
(a) Name (नाम): श्री विकास पांडे
(b) Father's Name (पिता का नाम) : श्री ओमप्रकाश
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):　　(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत
(e) UID No. (यूआईडी सं.):
(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):　　Date of Issue (जारी करने की तिथि):
Place of Issue (जारी करने का स्थान):
(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No.(क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	दक्षिणी गौतम नगर ,कोतवाली,फतेहपुर,उत्तर प्रदेश,भारत
2	स्थायी पता	दक्षिणी गौतम नगर ,कोतवाली,फतेहपुर,उत्तर प्रदेश,भारत

विकास पांडेय

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8853592007

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars
(ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):
Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No.(क्र. सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	अज्ञात व्यक्ति धारक मो0न0- 9335108370			1. अज्ञात ,फतेहपुर,उत्तर प्रदेश,भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र. सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (र में))

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(र में):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो

S.No. (क्र.	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):
सेवा में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला फतेहपुर महोदय विनम्र पूर्वक अवगत कराना चाहता हूं कि प्रार्थी विकास पांडे पत्र श्री ओम प्रकाश पाडे निवासी टास नगर फतेहपुर पर्यावरण प्रेमी है और लगातार पर्यावरण संबंधित मामलों में शिकायत करता रहता है प्राया केस नंबर 02/2021 का वादी है। इस केस मे प्रार्थी द्वारा अढावल 11 नंबर मोरम खदान की यमुना की जलधारक होने की शिकायत जिला स्तरीय,प्रदेश स्तरीय व एनजीटी दिल्ली में केस दर्ज किया था। जिस संबंध में प्राथा कपास दिनाक 24/01/2021 को रात्रि 11:00 बज के 38 मिनट पर अज्ञात मोबाइल नंबर 9335108370 से प्रार्थी के मोबाइल 8853592007 मे फोन आया और प्रार्थी को गंदी-2 गालियां देते हुए प्रार्थी को जान से मारने की धमकी दी। कि यदि प्रार्थी द्वारा अढावल 11 नंबर मोरम खदान की शिकायत की तो प्रार्थी को जान से मार देंगे। जिसकी समस्त रिकॉर्डिंग प्रार्थी के पास मौजूद है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि जांच कर इस मोबाइल नंबर 9335108370 संबंधित लोगो के नाम प्राथमिकी दर्ज करा के कार्यवाही करने का कष्ट करे व प्रार्थी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्यवाही करें। हस्ताक्षर प्रार्थी विकास पांडेय , विकास पाडे मोबाइल नंबर-8853592007 दिनाक-25/01/ 2021 विकास पांडेय HM कृ0 अभियोग पंजीकृत करें। हस्ताक्षर sho अंग्रेजी अपठनीय 29/1/21 नोट -मै हे0का0मु0 रजनीश कुमार पीएनओ 062072218 प्रमाणित करता हूँ कि तहरीर की नकल शब्द व शब्द अंकित है।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत

(1) Registered the case and took up the investigation: or

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Vijay Kumar Trivedi Rank (पद): SI (Sub-Inspector)
No.(952230991 to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):
or (के कारण इंकार किया

(4) Transferred to P.S. District
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant.(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)
Name (नाम): Ravinidra Srivastav
Rank(पद): I (Inspector)
No.(सं.): 922690118

विकास पांडेय

नजरिया नक्शा माननीय खान निरीक्षक द्वारा

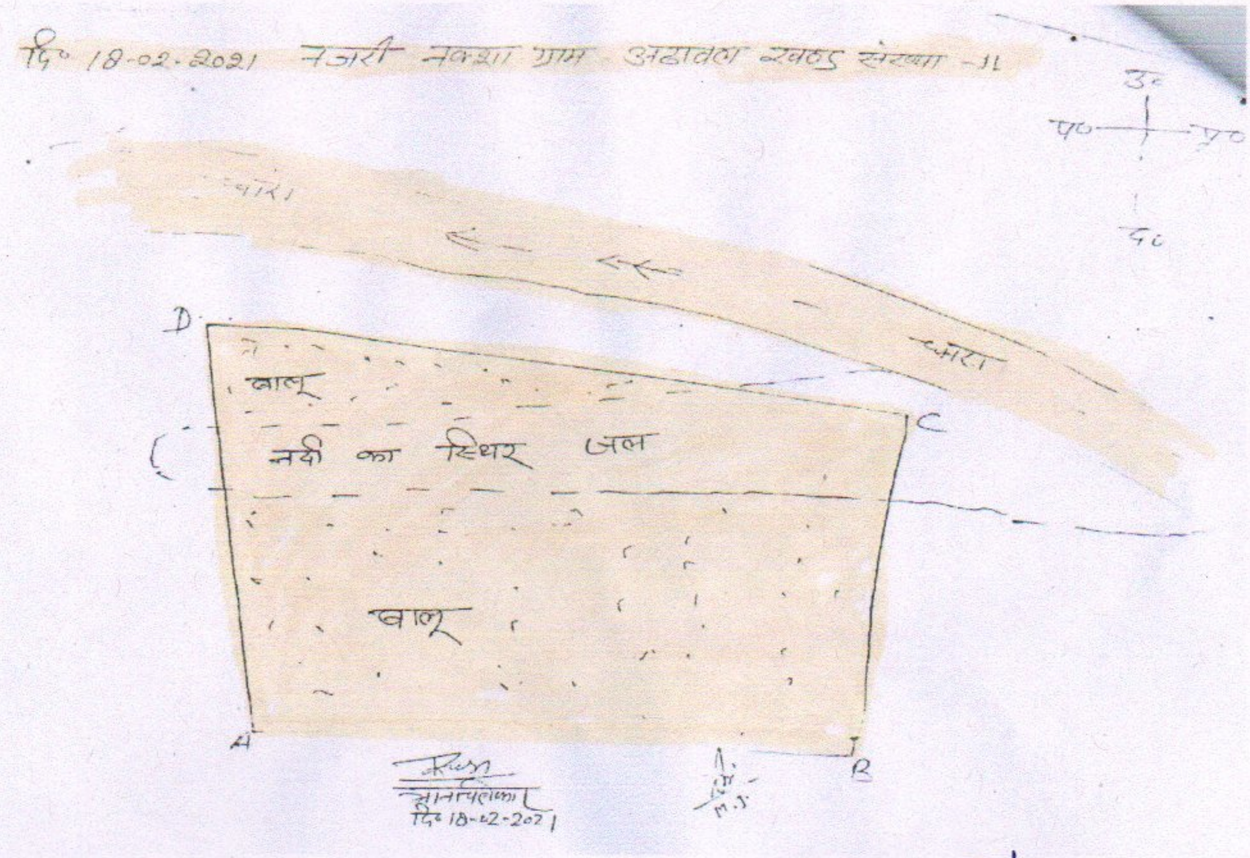

विकास पांडेय

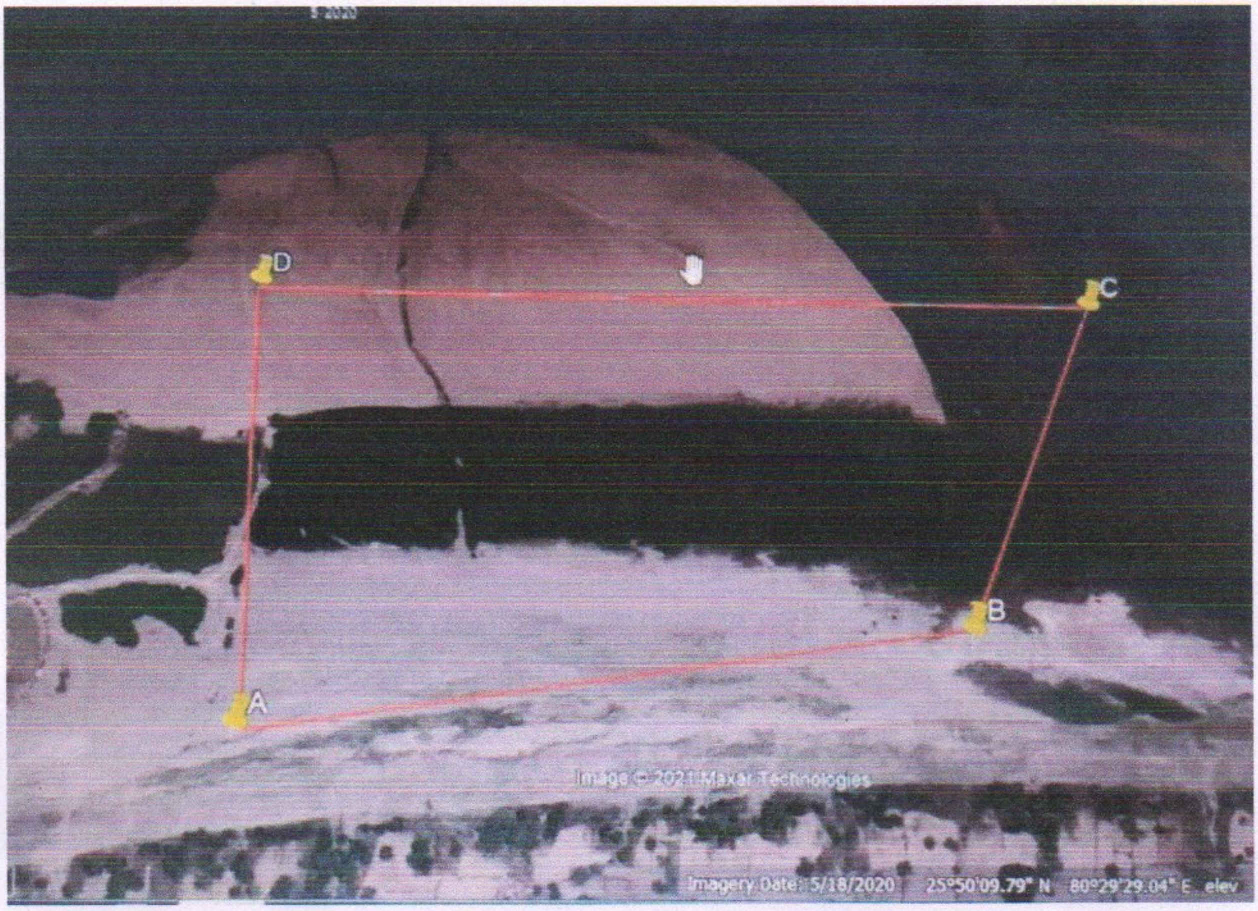

जबकि अढावल खंड 11 की ई सी में जरनल कंडीशन 13 में लिखा है कि जलधारा में किसी प्रकार का परिवर्तन या अन्य किसी भी प्रकार से जलधारा को पट्टेधारक नही छू सकता अन्यथा की स्थिति में पट्टा निरस्त हो जाएगा लेकिन जिला प्रशासन ने इतनी बार की कार्यवाही के बाद भी पट्टा निरस्तीकरण का कोई आवेदन नही किया।

अढावल खण्ड 11 की ई0सी0 संलग्न है।

विकास पांडेय

State Level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh

Directorate of Environment, U.P.

Vineet Khand-1, Gomti Nagar, Lucknow- 226 010
Phone : 91-522-2300 541, Fax : 91-522-2300 543
E-mail : doeuplko@yahoo.com
Website : www.seiaaup.com

To,

Smt. Ratna Jadon,
W/o Virendra Singh Chauhan,
E-7M728 Arera Colony Bhopal.

Ref. No. 411 ..../Parya/SEIAA/4516-4197/2020 **Date: 15 October, 2020**

Sub: Transfer of Environmental Clearance for Proposed Sand/Morrum Mining at Khand No.- A-11 ,(Gata No.- 250 Mi, 249 239 Mi, 240 Mi, 241Mi, 227Mi, 229Mi, 219Mi, 212Mi, 220 Mi, 225, 222, 221, 224, 223, 226, 244, 245, 242, Part of 252, 23, 256, Part of 251, 243, 246, 248, 247) , Village- Adhawal, Tehsil- Fatehpur, District- Fatehpur, U.P., M/s Classic Infraventures L.L.P., Sanctioned Lease Area: 40.48 Ha. File No. 4516/ 4197

Dear Sir,

Please refer to your application/letter dated 13-08-2020 addressed to the SEAC, Director & Secretary, Directorate of Environment, U.P., Lucknow on the subject as above. The case was considered in SEIAA meeting held on 07-10-2020.

SEIAA noted that the above project was taken in its meeting dated 09.09.2020 in which SEIAA opined that recommendation from Director Geological and Mining UP is required. Letter of Director Geological and Mining UP letter no. 1063/M-28/2012(Parya Swa) 2019 TC , dated 06.10.2020 has been received. SEIAA also gone through the letter of Smt. Ratana Jadon, Bhopal dated 13.08.2020 regarding transfer of Environmental Clearance to the above project issued vide letter no. 541/Parya/SEAC/4516/2018 date 29.11.2018. SEIAA gone through file and documents and found that the above Environmental Clearance was issued to Shri Manoj Kumar Yadav S/o Shri Raghu Nandan M/s Classic Infraventures LLP, B-2078, B-Block, Indira Nagar Lucknow. SEIAA noted that the previous lease issued to Shri Manoj Kumar Yadav was cancelled vide DM, Fatehpur order no. 163/Khanij-30/2019-20 dated 03.01.2020 and another LOI was issued to Smt. Ratna Jadon W/o Virendra Singh Chauhan E-7M728 Arera Colony Bhopal vide letter no.395/Khanij-30/2019-20 dated 07.03.2020. Hence SEIAA opined to transfer Environmental Clearance issued vide letter no. 541/Parya/SEAC/4516/2018 date 29.11.2018 from Shri Manoj Kumar Yadav S/o Shri Raghu Nandan M/s Classic Infraventures LLP, B-2078, B-Block, Indira Nagar Lucknow to Smt. Ratna Jadon W/o Virendra Singh Chauhan E-7M728 Arera Colony Bhopal for 2,50,000 m3 capacity and remaining period i.e upto 28.11.2023 (remaining period of previous EC). Validity of Environmental Clearance shall be extended after receiving certificate from the competent authority that mining was not conducted on previous EC i.e after 29.11.2018.

Rest all the content of Environmental Clearance letter no 541/Parya/SEAC/4516/2018 date 29.11.2018 shall remain the same.

(Ashish Tiwari)
Member Secretary, SEIAA

Ref. No........................../Parya/SEAC/4516-4197/2018 **Dated: As above**

Copy for Information and necessary action to:

1. The Principal Secretary, Environment, U.P. Govt., Lucknow.
2. Advisor, IA Division, Ministry of Environment, Forests & Climate Change, Govt. of India, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi.
3. Additional Director, Regional Office, Ministry of Environment & Forests, (Central Region), Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow.
4. The Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, TC-12V, Paryavaran Bhawan, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow.
5. District Magistrate, Fatehpur, U.P.
6. Director, Department of Geology & Mining, U.P. Lucknow.
7. Copy for Web Master/Guard file.

(Ashish Tiwari)
Member Secretary, SEIAA

विकास पांडेय

Registered

State Level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh

Directorate of Environment, U.P.
Vineet Khand-1, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Phone : 91-522-2300 541, Fax : 91-522-2300 543
E-mail : doeuplko@yahoo.com
Website : www.seiaaup.in

To,

Shri Manoj Kumar Yadav,
S/o Shri Raghu Nandan,
M/s Classic Infraventures L.L.P,
B-2078, B- Block, indira Nagar,
Lucknow- U.P.

Ref. No. 541 /Parya/SEAC/4516-4197/2018 **Date: 29 November , 2018**

Sub: Environmental Clearance for Sand/Morrum Mining Project at Khand No.- A-11, (Gata No.-250 Mi, 249 239 Mi, 240 Mi, 241 Mi, 227 Mi, 229 Mi, 219 Mi, 212 Mi, 220 Mi, 225, 222, 221, 224, 223, 226, 244, 245, 242, Part of 252, 253, 256, Part of 251, 243, 246, 248, 247), Village- Adhawal, Tehsil- Fatehpur, District- Fatehpur, U.P., (Sanctioned Lease Area: 40.48 Ha.), M/s Classic Infraventures L.L.P.

Dear Sir,

Please refer to your application/letter dated 07-04-2018, 16-04-2018, 02-05-201805-10-2018, 15-10-2018 & 26-11-2018 addressed to the Secretary, SEAC, Directorate of Environment, U.P., Lucknow on the subject as above. The State Level Expert Appraisal Committee considered the matter in its meetings held on dated 17-10-2018.

A presentation was made by the project proponent alongwith their consultant M/s Paramarsh (Servicing) Environment & Development. The proponent, through the documents submitted and the presentation made, informed the committee that:-

1. The environmental clearance is sought for Sand/Morrum Mining Project at Khand No.- A-11, (Gata No.-250 Mi, 249 239 Mi, 240 Mi, 241 Mi, 227 Mi, 229 Mi, 219 Mi, 212 Mi, 220 Mi, 225, 222, 221, 224, 223, 226, 244, 245, 242, Part of 252, 253, 256, Part of 251, 243, 246, 248, 247), Village- Adhawal, Tehsil- Fatehpur, District- Fatehpur, U.P., (Sanctioned Lease Area: 40.48 Ha.), M/s Classic Infraventures L.L.P.
2. Terms of reference in the matter were issued through SEIAA letter dated 11/07/2018.
3. The public hearing was organized on 26/09/2018.
4. EIA was submitted by the project proponent through letter dated 05/10/2018.
5. Salient features of the project as submitted by the project proponent:

1. On-line proposal No.	SIA/UP/MIN/23807/2018
2. File No. allotted by SEIAA,UP	4197
3. Name of Proponent	M.D.- Shri Manoj Kumar Yadav S/o Shri Raghu Nandan M/s Classic Infra Ventures L.L.P.
4. Full correspondence address of proponent and mobile no.	Add.- B-2078, B- Block, Indira Nagar, Lucknow, U.P. Mob-
5. Name of Project	Sand/Morrum Mining Project
6. Project location (Plot/ Khasra /Gata No.)	Khand No.- A-11 (Gata No.- 250Mi, 249, 239Mi, 240Mi, 241Mi, 227Mi, 229Mi, 219Mi, 212Mi, 220Mi, 225, 222, 221, 224, 223, 226, 244, 245, 242, Part of 252, 253, 256, Part of 251, 243, 246, 248, 247)
7. Name of River	Yamuna
8. Name of Village	Adhawal
9. Tehsil	Fatehpur
10.District	Fatehpur

विकास पांडेय

11. Name of Minor Mineral	Sand/Morrum Mining Project
12. Sanctioned LeaseArea (inHa.)	40.48 ha
13. Mineable Area (in Ha.)	37.98 ha
14.Zero level mRL	84.0 mRL
15.Max.&Min mrl within lease area	93.0 mRL- 88.0 mRL
16.Pillar Coordinates(Verified by OMO)	25°49'50.73"N to 25°50'10.89"N 80°28'39.61"E to 80°29'12.49"E
17.Total Geological Reserves	14,16,800 m^3
18.Total Mineable Reserves in LOI	8,09,600 m^3
19.Total Proposed Production (in five year)	40,48,000 m^3
20.Proposd Production for 5 years	

Year	Production
1st	8,09,600 m^3 Annum
2nd	8,09,600 m^3 Annum
3rd	8,09,600 m^3 Annum
4th	8,09,600 m^3 Annum
5th	8,09,600 m^3 Annum
Total	40,48,000 m^3

21.Sanctioned Period of Mine lease	5 Years
22.Production of mine/day	3598 m^3
23.Method of Mining	Opencast Semi-Mechanized
24 No.of working days	225 days
25.Working hours/day	8 Hours/Day
26 No.Of workers	59
27.No.Of vehicle movement /day	300
28.Type of Land	Govt. land Non Agriculture
29.Ultimate Depth of Mining	2.50 Meter
30.Nearest metalled road from site	0.3 km
31. Water Requirement	

PURPOSE	REQUIREMENT (KLD)
Drinking	0.60
Suppression of dust	3.60
Plantation	1.20
Others(if any)	------
Total	5.40

32. Name of QCI Accredited Consultant with QCI No and period of validity.	M/s Paramarsh (Servicing Environment and Development)., Lucknow, U.P. QCI/NABET/EIA/ACO/18/0719 Validity- 30th October 2018
33. Any litigation pending against the project or land in any court	No
34. Details of 500 m Cluster Map & certificate Verified by Mining Officer	Letter No. 266/30-Khanij (2017-18), dated 13, February 2018
35. Details of Lease Area in approved DSR	Page No. 7, Table No. 1, S.No. 11
36. Proposed CER cost	3.70 Lakh
37. Proposed EMP cost	4.55 Lakh
38. Length and breadth of Haul Road.	Length-0.30 Km, Width- More than 6.0 meter
39. No. of Trees to be Planted	302

6. The mining would be restricted to unsaturated zone only above the phreatic water table and will not intersect the ground water table at any point of time.
7. This project does not attract any of the general conditions applicable on mining projects specified in EIA Notification 14/09/2006.
8. The mining operation will not be carried out in safety zone of any bridge or embankment or in eco-fragile zone such as habitat of any wild fauna.

विकास पांडेय

9. There is no litigation pending in any court regarding this project.
10. The project proposal falls under category–1(a) of EIA Notification, 2006 (as amended).

Based on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee (meeting held on 17-10-2018) on the above said project, the State Level Environment Impact Assessment Authority (meetings held on dated 26/11/2018) has decided to grant the Environmental Clearance to the title project for collection of 8,09,600 m^3 Annum is proposed from mining lease area 40.48 ha subject to effective implementation of the following General Conditions and specific conditions:

General Conditions:-

1. This environmental clearance is subject to allotment of mining lease in favour of project proponent by District Administration/Mining Department.
2. Forest clearance shall be taken by the proponent as necessary under law.
3. Any change in mining area, khasra numbers, entailing capacity addition with change in process and or mining technology, modernization and scope of working shall again require prior Environmental Clearance as per the provisions of EIA Notification, 2006 (as amended).
4. Precise mining area will be jointly demarcated at site by project proponent and officials of Mining/Revenue department prior to starting of mining operations. Such site plan, duly verified by competent authority along-with copy of the Environmental Clearance letter will be displayed on a hoarding/board at the site. A copy of site plan will also be submitted to SEIAA within a period of 02 months.
5. Mining and loading shall be done only within day hours time.
6. No mining shall be carried out in the safety zone of any bridge and/or embankment.
7. It shall be ensured that standards related to ambient air quality/effluent as prescribed by the Ministry of Environment & Forests are strictly complied with. Water sprinklers and other dust control majors should be applied to take-care of dust generated during mining operation. Sprinkling of water on haul roads to control dust will be ensured by the project proponent.
8. All necessary statutory clearances shall be obtained before start of mining operations. If this condition is violated, the clearance shall be automatically deemed to have been cancelled.
9. Parking of vehicles should not be made on public places.
10. No tree-felling will be done in the leased area, except only with the permission of Forest Department.
11. No wildlife habitat will be infringed.
12. It shall be ensured that excavation of minor mineral does not disturb or change the underlying soil characteristics of the river bed /basin, where mining is carried out.
13. It shall be ensured that mining operation of Sand/Moram will not in any way disturb the, velocity and flow pattern of the river water significantly.
14. It shall be ensured that there is no fauna dependant on the river bed or areas close to mining for its nesting. A report on the same, vetted by the competent authority shall be submitted to the RO, PCB and SEIAA within 02 months.
15. Primary survey of flora and fauna shall be carried out and data shall be submitted to the RO, PCB and SEIAA within six months.
16. Hydro-geological study shall be carried out by a reputed organization/institute within six months and establish that mining in the said area will not adversely affect the ground water regime. The report shall be submitted to the RO, PCB and SEIAA within six months. In case adverse impact is observed /anticipated, mining shall not be carried out.
17. Adequate protection against dust and other environmental pollution due to mining shall be made so that the habitations (if any) close by the lease area are not adversely affected. The status of implementation of measures taken shall be reported to the RO, UPPCB and SEIAA and this activity should be completed before the start of sand mining.
18. Need-based assessment for the nearby villages shall be conducted to study economic measures which can help in improving the quality of life of economically weaker section of society. Income generating projects/tools such as development of fodder farm, fruit bearing orchards, vocational training etc. can form a part of such program me. The project proponent shall provide separate budget for community development activities and income generating programmes.
19. Green cover development shall be carried out following CPCB guidelines including selection of plant species and in consultation with the local DFO/Horticulture Officer.

विकास पांडेय